Review Of Research
Volume-2, Issue- 5 , Feb -2013
ISSN : 2249-894X Available online at www. lbp.world

पत्रकारिता:लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ

डॉ.अर्चना शिवाजीराव कांबळे
हिंदी विभाग , श्री शिवाजी महाविद्यालय,बार्शी.
जि.सोलापूर।

प्रस्तावना :

विधान पालिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन स्तंभ के रूप में सर्वमान्य हैं। किसी भी भव्य महल के लिए मात्र तीन ही स्तंभ उपयुक्त नहीं माने जाते, चौथे स्तंभ की अनिवार्यता भी सर्वस्वीकृत है। इसलिए लोकतंत्र को टिकाऊ,ठोस,संतुलित और सुंदर होने के लिए चतुर्थ स्तंभ का होना भी निहायत जरूरी है। यह चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता ही मानी जाती है। पत्रकारिता लोकतंत्र के षेश तीनों स्तंभों के क्रिया–कलापों पर पैनी नजर रखती है, इन्हें निरंकुष षासक है, वहॉ के षासकों को पत्रकारिता से खतरा महसूस होता है। नेपोलियन का एक कथन इस संदर्भ में बहुत प्रसिध्द है। वह कहता था–"चार विरोधी अखबारों का भय एक हजार बेयोनट के भय से भी बड़ा होता है।"[१]

यह सच है कि पत्रकारिता बहुत ताकतवार है। उसकी षक्ति जनशक्ति के आधार पर मूल्यांकित होती है। वह बेजुबान जनता की सामूहिक आवाज होती है। इसलिए बड़ा–से बड़ा तानाषाह भी पत्रकारिता से भयभीत हो जाता है। स्वतंत्र समाचार–पत्रों या संचार माध्यमों पर इसीलिए वह प्रथम प्रहार करता है। उसकी जुबान बंद करना चाहता है। आजादी के पूर्व की पत्रकारिता पर कई–कई हमले इसके उदाहरण हैं। प्रेस पर तरह–तरह के प्रतिबंध, दयानात्मक कानून और पत्रकारों को कैद करने, अखबारों को बंद करने का शडयंत्र उसकी अथाह षक्ति का ही परिणाम है।

लोकतंत्र में जनता का संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यही स्वतंत्रता पत्रकारिता को भी स्वत: प्राप्त है। इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करनेवाली कोई भी सरकार मूलत: लोकतंत्रात्मक नहीं हो सकती और यदि सरकार अनैतिक है, निरंकुष है, जनविरोधी है तो उसका समर्थन पत्रकारिता जगत नहीं करता। वह तो लोकतंत्र में आस्था रखनेवाली सत्ता के प्रति निश्ठावान है। वह उस सत्ता को जन रूचि और उसकी समस्याओं को आइना दिखलाता है। सच्चाई से अवगत कराता है और लोक–कल्याण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

संसद या विधान–सभाओं में जनता द्वारा चयनित जनप्रतिनिधी होते है। पत्रकारिता भी जनता की विचारधाराओं प्रतिनिधित्व करती है, वह सांसदों और विधायकों पर नजर रखती है। वह जनता को यह सूचित करती है कि उसके प्रतिनिधी संसद या विधानमंडलों के अंदर या बाहर उसके हितों के लिए किस प्रकार का किस स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह भी कि वे जन–हित आड़ में कितना स्व–हित कर रह हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र में जनमत बनाने, उसे दिशा देने का कार्य करती है। वह सूचनाओं के प्रकाषन–प्रसारण के आधार पर जनमत को शिक्षित प्रभावित और प्रेरित करती है। इस प्रकार पत्रकारिता–जगत् मुख्यत: तीन रूपों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। पहला, जामत को अभिव्यक्ति देना, दूसरा जन–मत को सूचित करना, और

तीसरा संचित सूचना के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों या बड़ी मान्यताओं का समाधान करना। इस का यह भी कर्तव्य है कि–"वह इस बात का प्रयास करे कि जो तथ्य उसने जनता के सामने पेष कि हैं, उनके आधार पर वह जनमत को दिषा–दृश्टि प्राप्त करा सके।"[२] भारतीय पत्रकारिता ने अपने इस कर्तव्य का पालन किया है।

लोकतंत्र की सभी स्तंभों पर पत्रकारिता की नजर रहती है। कोई भी स्तंभ ऐसा नहीं जिसकी खुबियों और खामियों को पत्रकारिता ने सार्वजनिक नहीं किया है। विधान–पालिका,कार्यपालिका ही नही न्यायपालिका को भी पत्रकारिता ने उसका असली चेहरा दिखलाया है। जहॉ भ्रश्टाचार,दमन,शोशण,अन्याय,अत्याचार को पंख लगते हैं, पत्रकारिता उनके पर कुतरने में सक्षम होती है। इसमें निहित सामर्थ्य और षक्ति की परख अकबर इलाहाबादी के एक षेर में मिलती है।

"खींचो न कमानों के न तलवार निकालो।
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।"

पत्रकारिता रणभूमि है, पत्रकार उसके योध्दा ऐसा योध्दा जो तीर, तलवार, तोपों का मुकाबला सिर्फ कलम से करता है। इस युध्द में कोई रक्तपात नहीं होता, किसी की लाश नहीं गिरती, लेकिन अद्‌भूत क्रांति होती हैं। एक अहिंसक क्रांति,जिसमें रंग राजा हो जाता है, और रंग की पंक्ति में जा बैठता है। इस प्रकार पत्रकारिता लोकतांत्रिक प्रशासनिक का एक अविभाज्य अंग है। यह निरंतर गतिमान संसद है। एक बृहत्तर पंचायत है, जिसमें सबकी बात सुनी और समझी जाती है।

भारत षैक्षिक स्तर पर आज भी अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ देष है। इसलिए जनता को राजनीतिक स्तर पर शिक्षित करना भी आवष्यक है। स्वार्थी तत्व सत्ता में प्रवेष कर उसे उसकी आजादी और अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। इस खतरे का बोध कराना पत्रकारिता का ही दायित्व है। सत्ता के कार्यों का मूल्यांकन, मनन और विष्लेशण करन में पत्रकारिता की ईमानदार भूमिका का कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह जनता की ऑख है और कान भी। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में तटस्थ और स्वस्थ पत्रकारिता की मौजुदगी बहुत जरूरी है, अन्यथा लोकतंत्र का लोप हो जाएगा। यह स्तंभ जितना सबल और सक्षम होगा, उसी अनुपात में लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

निष्कर्श:–

विधायिका,कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भॉति पत्रकारिता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकार को किसी विषेशाधिकार की आकांक्षा न रखते हुए न्यायधीश की सी निश्पक्षता और योध्दा की सी निर्भिकता के साथ सच्चाई उजागर करनी चाहिए। पत्रकारिता लोक–कल्याणकारी है, लोकतंत्र की संरक्षिका है। जनता:जनार्दन के अधिकारों और उनके हित के प्रति जागरूक है। यह लोकतंत्र की प्रहरी है, जो आम जनता और सत्ता को सतत जागते रहने की अपील करती है।

संदर्भ:–

१. हिंदी पत्रकारिता–रीति,नीति एवं वृत्ति–डॉ.जितेंद्र वत्स – पृ.क्र.२१८,२१९,२२०